अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदुर योजना

प्रवासी मजदुर कौनः– प्रवासी मजदुर का तात्पर्य ऐसे सभी मजदुरों से है जो एक राज्य से दुसरे राज्य में अथवा विदेश में किसी संविदा या अन्य व्यवस्था के तहत नियोजन हेतु जाते है।

बिहार राज्य प्रवासी मजदुर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 यथा संशोधित 2011,2014 एवं 2016 की विशिष्टियाँः–

- यह योजना 01ली अप्रैल, 2008 से लागु है।
- पात्रता– (1) राज्य के बाहर काम करने वाले असंगठित मजदुर जो बिहार राज्य के अधिवासी हों।
  (2) प्रवासी मजदुर की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच हो।

  दुर्घटनाः–

  (क) ट्रेन या सड़क दुर्घटना, विद्युत स्पर्शाघात, साँप काटना, पानी में डुबना, आग, वृक्ष अथवा भवन से गिर जाना, जंगली जानवरों द्वारा प्रहार, आतंकवादी अथवा आपराधिक आक्रमण आदि से हुई दुर्घटना।

  (ख) स्वेच्छा से लगाई गई चोट/आत्महत्या/मादक द्रव्यों/पदार्थ के सेवन से हुई मृत्यु दुर्घटना में सम्मिलित नहीं हैं।
- प्रक्रियाः–

  अनुदान हेतु दावा पत्रः– अनुदान प्राप्त करने हेतु दावा पत्र प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक/जिला पदाधिकारी के कार्यालय में दाखिल किया जा सकता है।

  लाभः–

  1. प्रवासी मजदुरों के दुर्घटना मृत्यु के फलस्वरूप अनुदानः– दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु अथवा दुर्घटना के कारण 180 दिनों के अन्तर्गत मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू० 1,00,000/– (रू० एक लाख) मात्र का अनुदान भुगदेय होगा। दिनांक–01.04.2011 के प्रभाव से दुर्घटना के फलस्वरूप स्थाई पूर्ण अपंगता की स्थिति में 75,000/–(रू० पचहतर हजार) एवं स्थाई आंशिक अपंगता की स्थिति में 37,500/–(रू० सैंतीस हजार पाँच सौ) प्रवासी मजदुर को अनुदान के रूप में होगा।
- अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर योजना के अन्तर्गत अन्य लाभः– अन्य राज्यों अथवा विदेशों में कार्यरत बिहारी प्रवासी मजदूर यदि किसी भी विषम परिस्थिति/कठिनाई में फँस जाते हैं तो राज्य सरकार द्वारा उन्हें मुक्त कराकर अपने खर्च पर उनके घर तक वापस पहूँचाने की व्यवस्था है। विमुक्ति के पश्चात एक माह के राशन हेतु रू0 1500/– भोजन, नाश्ता, दवा आदि मद में रू0 500/– एवं मार्ग व्यय में रू0 500/– तक व्यय करने का प्रावधान है।
- **इस योजना का शत–प्रतिशत व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।**